फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

तारीख: 09.05.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अप्रैल, 2023 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के अप्रैल, 2023 माह के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

011 -23034899

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अप्रैल, 2023 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

- **लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक**
  तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

- **राज्य सभा में पारित किए गए विधेयक**
  प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023

- **दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक**
  प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023

- **मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक**
  मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने शुक्रवार, 7 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में:
  क. 17वीं लोक सभा के 11वें सत्र और राज्य सभा के 259वें सत्र (बजट सत्र-2023), जिन्हें गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, का सत्रावसान करने का निर्णय लिया;
  ख. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का विरोध किए जाने या संबंधित सदस्यों से विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने, ऐसा न करने पर उनका विरोध करने/समर्थन नहीं करने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित सरकारी निर्णयों का कैबिनेट नोट संख्या 03/2023 के माध्यम से अनुसमर्थन किया।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

अप्रैल, 2023 माह के दौरान, लोक सभा के 743 और राज्य सभा के 634 आश्वासन लंबित हैं। माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 30 आश्वासनों को निकाला गया और राज्य सभा की कार्यवाही से 40 आश्वासनों को निकाला गया।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

अप्रैल, 2023 माह में-
क. परामर्शदात्री समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं।
ख. 02 संसद सदस्यों के नामों को उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के पश्चात परामर्शदात्री समिति से हटा दिया गया।

उपरोक्त विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए र राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.04.2023 को लंबित मामले	522	161
माह के दौरान उठाए गए मामले	051	000
कुल लंबित मामले	573	161
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	064	037
शेष मामले	**509**	**124**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. 01 अप्रैल, 2023 को पोर्टल आधारित राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का तीसरा संस्करण शुरू किया गया।

ख. अप्रैल, 2023 माह में, कुल 38 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है। 10 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूरी तरह या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है। इन युवा संसद बैठकों में 359 छात्रों ने भाग लिया।

ग. जवाहर नवोदय विद्यालय, मोहाली, पंजाब ने 20 अप्रैल, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

अप्रैल, 2023 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

(i) सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सिक्किम विधानसभा का दौरा-

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 11 अप्रैल, 2023 को सिक्किम विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव के साथ समीक्षा बैठक हेतु सिक्किम विधानसभा का दौरा किया।

(ii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यशाला

क. सीपीएमयू नेवा टीम ने 26-27 अप्रैल 2023 को हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए नव विकसित प्रश्न मॉड्यूल और रिपोर्टर मॉड्यूल पर एक आभासी सम्मेलन आधारित डेमो और चर्चा सत्र का आयोजन किया।

ख. उत्तराखंड विधानसभा के लिए नेवा सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के संबंध में सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा 3 अप्रैल, 2023 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया।

ग. मिजोरम विधानसभा में नेवा की स्थिति से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं को हल करने के लिए सीपीएमयू और वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/विभागाध्यक्ष के बीच एक आभासी बैठक सह परिचर्चा 24 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई।

(iii) सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडू विधानसभा का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 3 अधिकारियों ने 3 अप्रैल, 2023 से 13 अप्रैल, 2023 तक तमिलनाडु विधानसभा, चेन्नई का दौरा किया, ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले विभिन्न विधानसभाओं को सीपीएमयू नेवा द्वारा दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण/ सहायता थी।

ख. नेवा एप्लिकेशन का प्रभावी उपयोग करने के लिए अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा सिक्किम विधानसभा का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 4 अधिकारियों ने 10 अप्रैल, 2023 से 13 अप्रैल, 2023 तक सिक्किम विधानसभा, गंगटोक का दौरा किया, ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आगामी सत्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले विभिन्न विधानसभाओं को सीपीएमयू नेवा द्वारा दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण / सहायता थी।

ख. नेवा एप्लिकेशन का प्रभावी उपयोग करने के लिए अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

(v) छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार करने के लिए निदेशक, एनआईसी, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 10 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए एक आभासी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(vi) नागालैंड और गुजरात विधानसभा के लिए नेवा कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 27 अप्रैल, 2023 को नेवा सीपीएमयू सदस्यों के साथ एक आभासी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(vii) नेवा प्लेटफार्म पर विभिन्न विधानसभाओं को उनके सत्रों के संचालन हेतु प्रदान की गई सहायता

सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मणिपुर और मिजोरम की विधानसभाओं को बाधारहित तरीके से नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

मंत्रालय ने 16 अप्रैल-30 अप्रैल, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया। पखवाड़े की शुरुआत सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छता शपथ' दिलाकर की गई। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सफाई अभियान चलाया गया और मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी भौतिक फाइलों की समीक्षा/रिकॉर्डिंग/छटाई की गई। कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए पुराने अनुपयोगी सामान की नीलामी के लिए पहचान की गई, विद्युत स्विच बोर्ड/पंखे/एसी की सफाई की गई और मंत्रालय के सभी कमरों में सफेदी की गई। अपने-अपने जीवन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके महत्व को दर्शाने के लिए युवा संसद की विशेष बैठक आयोजित करके कॉलेजों/स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, 92 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 32 फाइलों को नष्ट किया गया और पखवाड़े के दौरान चुने गए पुराने अनुपयोगी सामान की नीलामी से 67,900/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का समापन मंत्रालय के शीर्ष तीन अनुभागों को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जो पखवाड़े के दौरान स्वच्छता मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ रहे।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

<u>अनुबंध</u>

अप्रैल, 2023 माह में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	**दिन, दिनांक और समय**	**मंत्रालय**	**विषय**	**स्थान/टिप्पणी**
1.	बुधवार, 5 अप्रैल 2023 को प्रातः 9:00 बजे	युवा कार्यक्रम और खेल	खेलो इंडिया योजना	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
2.	बुधवार, 5 अप्रैल 2023 को शाम 4:00 बजे	वस्त्र	"कपास से संबंधित विकास और हाल ही में उठाए गए कदम "	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	बुधवार, 5 अप्रैल 2023 को शाम 6:00 बजे	वाणिज्य एवं उद्योग	"सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम)"	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
4.	रविवार, 9 अप्रैल 2023 को प्रातः 9:00 बजे	सड़क परिवहन और राजमार्ग	I. वाहन स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन। II. भारत माला परियोजना की समीक्षा।	सोनमर्ग, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

			III. नई बस पोर्ट्स नीति का प्रस्तुतिकरण। IV. कोई अन्य मामला जिसे बाद के चरण में जोड़ा जा सकता है।	
5.	शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023 को प्रातः 11:00 बजे	नागर विमानन	सतत विमानन ईंधन	समिति कक्ष सं. '2', प्रथम तल, ए-ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली
6.	शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:30 बजे	इस्पात	लॉजिस्टिक्स: इस्पात क्षेत्र	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली

अप्रैल, 2023 के दौरान मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के कारण विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए संसद सदस्य

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत थे**	**कारण**
1.	श्री गिरिश भालचंद्र बापट, सांसद (लोक सभा)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**29.03.2023 को मृत्यु** (पत्र 19.04.2023 को जारी किया गया)
2.	श्री लूइझिनो जोएक्विम फलेरो, सांसद (राज्य सभा)	कोयला एवं खान मंत्रालय	11.04.2023 को इस्तीफा (पत्र 19.04.2023 को जारी किया गया)